राजस्व वाद संख्या 04/2018 अनवान सताराम बनाम दुर्गाराम वगैरा

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22.5.2018	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार 2018 में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत कमठाई में पेश हुई। पक्षकारान को जारी लोक अदालत सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए। जो शामिल मिसल हों। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से नायब तहसीलदार (कोर्ट) उपस्थित। लेकिन जबाव पेश नहीं करना चाहते है,जो जबाव बन्द किया जाता है। प्रतिवादीगण की रजिस्टर्ड तलबी दिनांक 17.2.2018 को करवाई गई थी। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बावजूद सुचना के हाजिर नही होने पर उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। वकील वादी साक्ष्य पेश करना नहीं चाहता है। जो वादी की साक्ष्य बंद की जाती है। वकील वादी की बहस सुनी गई। हमनें वकील वादी की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,एवं दस्तावेजात का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि वादी व प्रतिवादी स.1 ता 3 वादग्रस्त भूमि के रिकार्डड सह खातेदारान है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक थोक का बहिस्सा बराबर 1/3, 1/3 हिस्सा है। जो पत्रावली के सलंग्न वादग्रस्मत भूमि की जमाबंदी संवत 2073–76 से साबित है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में हिस्से खुले हुए नहीं होने एवं विधिवत बंटवाड़ा नहीं होने के कारण वादी द्वारा यह वाद पेश किया गया है। जो वादी राजस्व रिकार्ड में हिस्सेनुसार बंटवाड़ा करवाने का हकदार भी है। एवं मजमें आम में पुछताछ करने पर उक्त तथ्यो की ताईद होती है। प्रतिवादीगण बावजूद सुचना के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। इससे प्रतीत होता है कि वादी के वाद को स्वीकार किये जाने में प्रतिवादीगण की भी मौन स्वीकृति है। उपरोक्त विवेचन उपरान्त साबित होता है,कि वादी का मौके पर हिस्सेनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव मंगवाना उचित प्रतीत होता है। **लिहाजा** वादी का वाद राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए प्रांरम्भिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम–नई कमठाई तहसील सिणधरी की खसरा सख्या 197/121 रकबा 58–05 बीधा भूमि मे 1/4 हिस्सा वादी का धोषित करते हुए वादी का

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिणधरी

हिस्सेनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड्स (By mets and bounds) विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार सिणधरी को 1500/शुल्क पर कमीशनर मुकर्रर किया जाता है। कमीशनर शुल्क वादी मौके पर अदा करेगा। शेष बदूस्तर रहेगा। विभाजन प्रस्ताव दोनो पक्षो को पूर्व में सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें। तदनुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हों। तहसीलदार सिणधरी को तहरीर जारी होकर मिसल–विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेश हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ) सिणधरी

क्रमांक / वाद / 18 / 1197 दिनांक– 22.5.18

प्रेंषितः– तहसीलदार

सिणधरी

विषय–राजस्व वाद संख्या 04 / 2008 अनवान सताराम बनाम दुर्गाराम वगैरह में विभाजन प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

विभाजन प्रस्ताव भिजवाने की तारीख–08.8.2018

उपरोक्त,विषयान्तर्गत लेख है,कि उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करनें से पूर्व विभाजन प्रस्ताव तैयार करनें की एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर सम्बन्धित पक्षकारों को जरियें नोटिस/पत्र सूचना दी जावें। तत्पश्चात दोनों पक्षों की उपस्थिति में आप स्ंवय मौके पर जाकर विवादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भेजे।

संलग्न– प्रारम्भिक डिक्री की प्रतिलिपि

सहायक कलक्टर
सिणधरी

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ) सिणधरी

Scanned by CamScanner

मूलवाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायलय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत कमठाई

पीठासीन अधिकारी:–...श्री अंजुम ताहिर सम्मा,आर.ए.एस.

अनवान

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

सताराम पुत्र खेताराम

जाति जाट निवासी होडू

तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

1.दुर्गाराम

2.तुलछाराम पिसरान खेताराम

3.गुमनाराम पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी होडू तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

4.तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबत:–53.188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :–04/2018

निर्णय दिनांक :–22.5.2018

वादी की ओर से अधिवक्ता. श्री अमराराम चौधरी उपस्थिति.की व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अनुपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार (कोर्ट) उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख. 22.5.2018 को. श्री अंजुम ताहिर सम्मा (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, **आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है** कि:–वादी का वाद राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हूए प्रांरम्भिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम–नई कमठाई तहसील सिणधरी की खसरा सख्या 197/121 रकबा 58–05 बीधा भूमि में 1/4 हिस्सा वादी का धोषित करते हुए वादी का हिस्सेनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस (By mets and bounds) विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार सिणधरी को 1500/शुल्क पर कमीशनर मुकर्रर किया जाता है। कमीशनर शुल्क वादी मौके पर अदा करेगा। शेष बदूस्तर रहेगा। विभाजन प्रस्ताव दोनो पक्षो को पूर्व में सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भेजे।

यह आज तारीख.22-5-18 .को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4..........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner